

परिशिष्ट-1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2; पृष्ठ 1)

विभागों का संक्षिप्त प्रालेख

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
1.	नागरिक उद्ब्ययन	विभाग का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है जिससे नागरिक उद्ब्ययन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो, जो कि पर्यटन, उद्योगों को बढावा देगा, रोजगार वृद्धि तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढावा देगा।
2.	उपनिवेशन	विभाग का मुख्य उद्देश्य भूमि का विकास एवं आवंटन करना है।
3.	ऊर्जा	राज्य विद्युत क्षेत्र की कंपनियों का प्रशासनिक विभाग होने के नाते, विभाग का मुख्य कार्य ऐसी कंपनियों के मामलों को राजस्थान सरकार/वित्त विभाग/विश्व बैंक/विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ आगे बढाना/निपटाना शामिल है। विभाग मुख्य रूप से सभी बिजली क्षेत्र की कंपनियों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, यह इन कंपनियों को विभिन्न विषय-वस्तुओं पर दिशा-निर्देश भी जारी करता है। इसके अलावा, विभाग बिजली क्षेत्र की कंपनियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों, योजनाओं, (केंद्रीय एजेंसियों और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) आदि) की भी निगरानी करता है। विभाग इन कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों की भी व्यवस्था करता है।
4.	पर्यावरण	विभाग का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं का योजना स्तर पर पर्यावरण मूल्यांकन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिये योजनायें, परियोजनायें, कार्यक्रम तैयार एवं निष्पादित करना तथा अन्य सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किये गये पर्यावरण संबंधी प्रस्तावों की जांच करना है।
5.	कारखाना एवं बायलर्स	विभाग के मुख्य उद्देश्य कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को सुनिश्चित करना है। कारखानों में दुर्घटनाओं और सतरनाक घटनाओं की जांच करना और औद्योगिक श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी करना है।
6.	वन	विभाग का मुख्य उद्देश्य वानस्पतिक आवरण को बढाकर पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा प्राप्त करना है। इसे राज्य के प्राकृतिक आवरण के विस्तार के लिये सघन वृक्षारोपण, मरुस्थलीकरण का मुकाबला कर, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के माध्यम से वनस्पति एवं जैव विविधता एवं जीन पूल रिजर्व के संरक्षण से प्राप्त किया जाना है।
7.	उद्योग	विभाग का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को बढावा देना, उनके उत्पादों के विपणन में सहायता करना, लवणीय क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्प कारीगरों का विकास, हथकरघा इत्यादि का विकास है। विभाग राज्य में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना में विभिन्न रियायतें, सुविधायें तथा सहायता भी प्रदान करता है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
8.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज्य के कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रशासन में सुधार के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी निकायों में प्रौद्योगिकी का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए काम कर रहा है। विभाग तकनीकी मामलों तथा सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का पुनरीक्षण भी करता है। विभाग राज्य में आईटी नीति बनाता है और लागू करता है।
9.	स्नान एवं भूविज्ञान	स्नान एवं भू-विज्ञान विभाग राज्य में स्नान संसाधनों की स्रोत, विकास एवं प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया था। विभाग नदीन स्नानिज भण्डारों के लिये सर्वेक्षण एवं पूर्वक्षण करता है तथा भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय, भू-रसायन तथा ड्रिलिंग तकनीकी से उनकी सुनिश्चितता का मूल्यांकन करता है जिससे उन्हें दोहन के लिये तैयार किया जा सके।
10.	पेट्रोलियम	निदेशालय के मुख्य कार्य पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस और पेट्रोलियम सनन पट्टों के अनुदान के प्रस्तावों पर कार्रवाई करना, नियमों और विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना जैसे कि तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 आदि। पेट्रोलियम क्षेत्र से राजस्व का संग्रह, न्यूनतम कार्य योजना के कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दों का कार्यान्वयन, तेल, गैस और कोयला बेड मीथेन के लिए ब्लॉक दिए गए, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति/सीबीएम नीति व्यवस्था और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत छोटे क्षेत्र/खुले एकड़ लाइसेंसिंग के तहत नए ब्लॉक स्रोते गए।
11.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज्य के प्रत्येक नागरिक को पीने योग्य पानी उपलब्ध करने के लिये प्रतिबद्ध है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज्यव्यापी कार्यालय तंत्रप्रणाली के साथ तथा अत्याधुनिक रिवर्स ऑस्मोसिस, डी-फ्लोराइडेशन, स्काडा, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में पीने योग्य सुरक्षित पानी उपलब्ध करवा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चरणबद्ध तरीके से भू-जल आधारित योजनाओं से सतही जल स्रोत आधारित योजनाओं पर स्थानांतरित हो रहा है। इससे जल गुणवत्ता की समस्या से निपटने और पीने योग्य पानी की निर्बाध आपूर्ति में सहायता मिलेगी।
12.	सार्वजनिक निर्माण	सार्वजनिक निर्माण विभाग को मुख्य रूप से सड़कों, पुलों तथा राजकीय भवनों के निर्माण एवं रखरखाव का काम सौंपा गया है। यह विभाग इन मामलों में राज्य सरकार के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी काम करता है।
13.	राजस्थान राज्य मोटर गैरेज	विभाग का मुख्य उद्देश्य राज सरकार की मोटर वाहन पॉलिसी को लागू करना है। इसके अतिरिक्त यह पदाधिकारियों को राज्य/जिला पूल से मोटर वाहनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है।
14.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विभाग का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को बढ़ाना तथा राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढ़ाने के लिये नोडल विभाग की भूमिका निभाना है।
15.	राजकीय उपक्रम	विभाग का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन से प्रभावित ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है।
16.	परिवहन	विभाग के मुख्य उद्देश्यों में मोटर वाहनों का पंजीकरण तथा फिटनेस, मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण, परिचालन अनुज्ञापत्रियां जारी करना, मोटर वाहनों को अनुमति-पत्र जारी करना, जनता के लाभ के लिये मार्गों का निर्धारण तथा वाहन प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम करना शामिल है।

परिशिष्ट-2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.1; पृष्ठ 4)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
1	नागरिक उद्बयन	2	2	3	7	2	8	16	26	1.33	36.79	13.77	51.89
2	उपनिवेशन	9	5	0	14	14	13	0	27	42.04	27.06	0.00	69.10
3	ऊर्जा	0	0	5	5	0	0	15	15	0.00	0.00	4.14	4.14
4	पर्यावरण	5	2	3	10	31	18	21	70	138.21	474.84	27.70	640.74
5	कारखाना एवं बायलर्स	4	0	3	7	4	0	18	22	0.07	0.00	1.74	1.81
6	वन	196	94	119	409	571	433	752	1756	723.06	447.38	643.25	1813.70
7	उद्योग	19	8	14	41	42	18	84	144	19.87	33.38	114.42	167.66
8	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	0	3	8	11	0	6	40	46	0.00	49.89	1592.54	1642.43
9	स्नान एवं भूविज्ञान	196	75	76	347	571	330	575	1476	1432.73	452.04	541.58	2426.35
10	पेट्रोलियम	0	1	3	4	0	1	7	8	0.00	0.00	137.64	137.64

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	721	231	214	1166	1976	1553	1536	5065	3885.18	4749.40	7842.03	16476.61
12	सार्वजनिक निर्माण	949	195	241	1385	4368	1138	1548	7054	3905.03	695.17	2389.28	6989.48
13	राजस्थान राज्य मोटर गैरेज	2	0	4	6	2	0	23	25	0.43	0.00	18.48	18.91
14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3	4	9	16	3	10	32	45	2.02	6.30	28.98	37.30
15	राजकीय उपक्रम	2	0	2	4	2	0	8	10	0.08	0.00	22.01	22.09
16	परिवहन	200	46	51	297	704	255	398	1357	22.61	17.76	31.35	71.72
योग		2308	666	755	3729	8290	3783	5073	17146	10172.66	6990.01	13408.89	30571.57

परिशिष्ट-3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.10.1 (ii)(अ); पृष्ठ 47)

अधिशुल्क, डीएमएफटी, आरएसएमईटी में राशि की कटौती का अभाव या कम कटौती को दर्शाने वाला विवरण पत्र

निर्माण विभाग का नाम	कार्यालयों की संख्या	अधिशुल्क (₹ लाख में)				डीएमएफटी अंशदान (₹ लाख में)				आरएसएमईटी अंशदान (₹ लाख में)			
		कार्यों की संख्या	देय राशि	वसूली	कम वसूली राशि	कार्यों की संख्या	देय राशि	वसूली	कम वसूली राशि	कार्यों की संख्या	देय राशि	वसूली	कम वसूली राशि
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	9	75	92.73	61.51	31.22	89	5.67	0.34	5.33	47	0.19	0	0.19
सार्वजनिक निर्माण विभाग	8	43	51.18	24.75	26.43	523	16.87	4.74	12.13	70	0.14	0	0.14
जल संसाधन विभाग	3	24	11.51	0	11.51	63	3.55	0.40	3.15	20	0.50	0	0.50
नगर निगम भीलवाड़ा	1	2	0.64	0.26	0.38	2	0.06	0.02	0.04	0	0	0	0
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	2	2	3.90	1.54	2.36	2	0.39	0.13	0.26	0	0	0	0
अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	6	22.38	17.68	4.70	6	2.24	1.27	0.97	0	0	0	0
नगर पालिका	1	20	0	0	0	20	1.61	0	1.61	0	0	0	0
योग	25	172	182.34	105.74	76.60	705	30.39	6.90	23.49	137	0.83	0	0.83

परिशिष्ट-4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.10; पृष्ठ 53)

मूल्य भिन्नता संगणना पत्रक-खेतड़ी

संवेदक का नाम- मै. एल एंड टी लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन, चेन्नई							
निविदा खोलने की तिथि- 19.07.2013				समझौता वार्ता की तिथि-19.08.2013			
कुल स्वीकृत लागत- ₹ 4,40,07,14,703/-							
निष्पादन अवधि		02.09.2013 से 01.09.2016					
सूत्र $-0.75 * P_s / 100 * R (L_{s1} - L_{s0}) / L_{s0}$							
अवधि (1)	कारक (2)	सामग्री (3) P _s /100	निष्पादित कार्य (₹) (4) R	वर्तमान सूचकांक (5) L _{s1}	आधार सूचकांक (6) L _{s0}	मूल्य भिन्नता राशि (₹) (7)	भुगतान की गयी राशि (₹) (8)
10/13-12/13	0.75	0.35	18,33,63,113	151.70	149.80	6,10,496	39,88,148
1/14-3/14	0.75	0.35	25,88,21,986	153.10	149.80	14,96,693	75,70,543
4/14-6/14	0.75	0.35	36,07,55,486	151.50	149.80	10,74,680	1,34,74,217
7/14-9/14	0.75	0.35	50,91,31,206	149.90	149.80	89,217	2,05,05,259
10/14-12/14	0.75	0.35	36,34,21,594	148.20	149.80	-10,18,939	1,27,83,355
1/15-3/15	0.75	0.35	15,81,37,743	144.80	149.80	-13,85,553	46,13,669
4/15-6/15	0.75	0.35	55,00,89,338	138.50	149.80	-1,08,92,540	1,20,88,213
7/15-9/15	0.75	0.35	55,00,89,338	131.10	149.80	-1,80,25,708	61,05,992

अवधि (1)	कारक (2)	सामग्री (3) Ps/100	निष्पादित कार्य (₹) (4) R	वर्तमान सूचकांक (5) Ls1	आधार सूचकांक (6) Ls0	मूल्य भिन्नता राशि (₹) (7)	भुगतान की गयी राशि (₹) (8)
10/15-12/15	0.75	0.35	48,89,68,300	126.00	149.80	-2,03,92,720	28,60,465
1/16-3/16	0.75	0.35	36,67,26,225	125.00	149.80	-1,59,37,168	28,87,969
4/16-6/16	0.75	0.35	30,56,05,186	130.90	149.80	-1,01,21,387	68,76,117
7/16-9/16	0.75	0.35	3,09,23,695	127.80	149.80	-11,92,152	9,27,711
			4,12,60,33,210		भुगतान योग्य राशि	-7,56,95,081	9,46,81,658
					भुगतान की गयी राशि	9,46,81,658	
					अन्तर	-17,03,76,739	

परिशिष्ट-5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 55)

लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की सूची

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम
अ	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
1	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
3	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड
4	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
5	बाइमेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड
6	राजस्थान वित्त निगम
7	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
8	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
9	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
10	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
11	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
12	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
13	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
14	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
15	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
16	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
17	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	
क्र. सं.	
18	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड
19	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	छबड़ा पावर लिमिटेड
21	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड
22	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड
23	बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
24	बाड़मेर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
25	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
27	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
28	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
29	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
30	राजस्थान सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ब	स्वायत्त निकाय
1	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
2	राजस्थान स्यादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
3	राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण
4	राजस्थान राज्य प्रतिकरालसक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

परिशिष्ट-6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5; पृष्ठ 57)

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग
अ	राजकीय उपक्रम												
1	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	18	14	24	56	37	45	110	192	25.19	199.09	700.57	924.85
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	17	30	30	77	29	80	152	261	73.06	45.35	495.42	613.83
3	राजस्थान राज्य स्नान एंड स्निज लिमिटेड	9	7	7	23	15	21	47	83	18.03	60.96	113.73	192.72
4	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2	2	3	7	8	6	45	59	0.44	0.22	665.80	666.46
5	बाइमेर लिग्नाईट स्नान कम्पनी लिमिटेड	0	1	3	4	0	1	15	16	0.00	0.00	13.97	13.97
6	राजस्थान वित्त निगम	23	18	25	66	43	42	90	175	44.15	92.99	44.09	181.23
7	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	5	2	3	10	16	9	30	55	5.67	0.24	1.26	7.17
8	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	0	2	3	5	0	2	12	14	0.00	0.00	0.73	0.73

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग
9	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	18	28	29	75	38	287	358	683	3.77	374.78	322.45	701.00
10	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2	6	22	30	2	10	89	101	49.00	1058.19	31326.72	32433.91
11	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	0	8	21	29	0	7	71	78	0.00	19.84	104.16	124.00
12	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2	8	43	53	2	17	226	245	0.00	22.77	3036.06	3058.83
13	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2	12	27	41	2	24	125	151	0.00	95.12	6859.59	6954.71
14	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	7	14	34	55	10	31	175	216	1.81	52.27	6417.99	6472.07
15	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	0	1	3	4	0	3	25	28	0.00	2.63	51.64	54.27
16	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड	0	0	3	3	0	0	8	8	0.00	0.00	2.75	2.75
17	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	0	0	3	3	0	0	9	9	0.00	0.00	7.23	7.23
18	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	0	0	3	3	0	0	21	21	0.00	0.00	3.52	3.52
19	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	0	0	1	1	0	0	3	3	0.00	0.00	0.43	0.43
20	छबड़ा पावर लिमिटेड	0	0	4	4	0	0	8	8	0.00	0.00	774.22	774.22
21	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड	0	3	0	3	0	4	0	4	0.00	1.86	0.00	1.86

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया अनुच्छेदों की संख्या				संबन्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग
22	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड	0	1	1	2	0	2	4	6	0.00	27.96	9.71	37.67
23	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
24	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
25	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2	3	6	2	4	19	25	1.63	41.26	203.80	246.69
26	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	2	2	0	0	32	32	0.00	0.00	418.47	418.47
27	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	1	1	0	0	11	11	0.00	0.00	338.10	338.10
28	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	2	2	0	0	12	12	0.00	0.00	234.07	234.07
29	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	1	1	0	0	16	16	0.00	0.00	733.11	733.11
30	राजस्थान सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	0	0	1	1	0	0	1	4.49	0.00	0.00	4.49
31	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	2	4	14	64	17	77	158	1067.42	282.30	1676.09	3025.81
	योग अ	115	161	305	581	269	612	1790	2671	1294.66	2377.83	54555.68	58228.17
ब	स्वायत्त निकाय												
1	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	73.66	73.66

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग
2	राजस्थान स्नादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	4	2	2	8	14	6	12	32	30.27	3.61	3.54	37.42
3	राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	राजस्थान राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	1	0	0	1	39	0	0	39	59.21	0	0	59.21
	योग ब	5	2	5	12	53	6	21	80	89.48	3.61	77.20	170.29
	कुल योग (अ+ब)	120	163	310	593	322	618	1811	2751	1384.14	2381.44	54632.88	58398.46

परिशिष्ट-7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.7; पृष्ठ 58)

सीएंडएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के तहत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों को सौंपे गए कार्यों की समीक्षा पर वार्षिक विवरणी

क्र. सं.	धारा के तहत लेखापरीक्षित संस्थान का नाम एवं पता	धारा के तहत सरकार द्वारा लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जब तक खाते प्रस्तुत किए गये	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गये	विधानमंडल के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	वह वर्ष जिसके लेखे देय हैं	लेखा प्रस्तुत करने में विलंब की अवधि 31 दिसंबर 2021 तक
1	धारा 20(1) के तहत राजस्थान स्वादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	धारा 20(1) के तहत 2017-18 से आगे	2019-20	2019-20	2019-20 (10.02.2022)	2020-21	2020-21 (6 महीने)
2	धारा 19(2) के तहत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग	धारा 19(2) के तहत	2020-21 (22.09.2021)	2020-21 (एसएआर 06.01.2022 को जारी किया गया)	2019-20 (13.02.2022)	-	2020-21 (3 महीने)
3	धारा 19(2) के तहत राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	2019-20	2019-20	2019-20	2020-21	2020-21 (6 महीने)
4	धारा 19(2) के तहत राजस्थान राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	धारा 19(2) के तहत (एकमात्र लेखापरीक्षा)	2012-13	2012-13	2012-13	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	2013-14 (7.50 साल) 2014-15 (6.50 साल) 2015-16 (5.50 साल) 2016-17 (4.50 साल) 2017-18 (3.50 साल) 2018-19 (2.50 साल) 2019-20 (1.50 साल) 2020-21 (6 महीने)

परिशिष्ट-8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 59)

आरईआरसी का विनियामक नियंत्रण

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्र
अ	विद्युत उत्पादन	
1	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
2	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
3	राज वेस्ट पावर लिमिटेड यथा राजस्थान के व्यक्तिगत विद्युत उत्पादक (आईपीपी)	निजी क्षेत्र
ब	विद्युत प्रसारण	
1	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
2	मैसर्स अदानी ट्रांसमिशन (राजस्थान) लिमिटेड	निजी क्षेत्र
3	मैसर्स बाडमेर पावर ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड।	निजी क्षेत्र
4	मैसर्स थार पावर ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड	निजी क्षेत्र
5	मैसर्स हाडोती ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड	निजी क्षेत्र
6	मैसर्स मारू ट्रांसमिशन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	निजी क्षेत्र
7	मैसर्स अरावली ट्रांसमिशन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	निजी क्षेत्र
8	मैसर्स केईसी बीकानेर-सीकर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड	निजी क्षेत्र
स	विद्युत वितरण	
1	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
2	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
3	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)

द	विद्युत का व्यापार	
1	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
इ	भार प्रेषण	
1	राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी)	राजकीय उपक्रम की एक इकाई

परिशिष्ट-9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 61)

आरईआरसी द्वारा बनाए गए प्रमुख विनियमों की स्थिति, जो 2016-21 के दौरान लागू रहे

विनियमों का प्रकृतिवार विवरण	अधिसूचना की तिथि (नवीनतम संशोधन)
टैरिफ विनियम	
आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2014 (टैरिफ विनियम 2014)	24 फरवरी 2014
आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2019 (टैरिफ विनियम 2019)	10 मई 2019 (संशोधन: 28 फरवरी 2020)
प्रसारण अनुज्ञापतिधारी के निष्पादन के मानक	
आरईआरसी (प्रसारण अनुज्ञापतिधारी के निष्पादन के मानक) विनियम, 2004 (टी-एसओपी विनियम 2004)	20 अप्रैल 2004 (संशोधन: 19 जनवरी 2016)
आरईआरसी (प्रसारण अनुज्ञापतिधारी के निष्पादन के मानक) विनियम, 2021 (टी-एसओपी विनियम 2021)	3 फरवरी 2021
निष्पादन का मानक (वितरण अनुज्ञापतिधारी)	
आरईआरसी (वितरण अनुज्ञापतिधारी के निष्पादन के मानक) विनियम, 2014 (डी-एसओपी विनियम 2014)	17 फरवरी 2014
आरईआरसी (वितरण अनुज्ञापतिधारी के निष्पादन के मानक) विनियम, 2021 (डी-एसओपी विनियम 2021)	31 मार्च 2021
उपभोक्ता शिकायतें एवं लोकपाल	
आरईआरसी(शिकायतों के निवारण के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2008	1 मार्च 2008
आरईआरसी(विद्युत लोकपाल द्वारा विवादों का निपटान) विनियम, 2010.	23 मार्च 2010 (संशोधन: 22 जनवरी 2020)
आरईआरसी(उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता वकालत) विनियम, 2021.	5 अप्रैल 2021
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र और नवीकरणीय क्रय दायित्व	
आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व) 2007	23 मार्च 2007 (संशोधन: 4 फरवरी 2020)
आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र और नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालन ढांचा) विनियम, 2010.	23-12-2010 (संशोधन: 5 मार्च 2019)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)

राज्य सलाहकार समिति	
आरईआरसी (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2009	9 जनवरी 2009
क्रय प्रक्रिया	
आरईआरसी (वितरण अनुज्ञापतिधारी की विद्युत क्रय एवं विद्युत क्रय प्रक्रिया) विनियम, 2004	26 मार्च 2004 (संशोधन: 11 जनवरी 2019)

परिशिष्ट-10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.6.14; पृष्ठ 80)

2016-17 से 2020-21 के दौरान वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अर्द्धवार्षिक एसओपी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को दर्शाने वाला विवरण पत्र

वर्ष	प्रतिवेदन अवधि	जयपुर		अजमेर		जोधपुर	
		अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने की तिथि	अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने में देरी (दिनों में)	अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने की तिथि	अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने में देरी (दिनों में)	अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने की तिथि	अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने में देरी (दिनों में)
2016-17	प्रथम छमाही	03 जनवरी 2017	50	12 जनवरी 2017	59	16 मई 2017	183
	द्वितीय छमाही	09 अक्टूबर 2017	147	13 जून 2017	29	15 मई 2017	0
2017-18	प्रथम छमाही	03 नवम्बर 2017	0	29 दिसम्बर 2017	45	03 नवम्बर 2017	0
	द्वितीय छमाही	25 जून 2018	41	12 जून 2018	28	28 मई 2018	13
2018-19	प्रथम छमाही	02 जनवरी 2019	49	14 दिसम्बर 2018	30	06 दिसम्बर 2018	22
	द्वितीय छमाही	11 जून 2019	27	29 मई 2019	14	16 मई 2019	1
2019-20	प्रथम छमाही	16 दिसम्बर 2019	32	09 दिसम्बर 2019	25	15 नवम्बर 2019	1
	द्वितीय छमाही	10 जून 2020	26	15 जून 2020	31	15 जून 2020	61
2020-21	प्रथम छमाही	11 दिसम्बर 2020	27	29 दिसम्बर 2020	45	12 जनवरी 2021	59
	द्वितीय छमाही	15 जून 2021	31	23 जून 2021	39	16 जुलाई 2021	62

